



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052026-272392
CG-DL-E-09052026-272392

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2269]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948

No. 2269]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

का.आ. 2360(अ).—केंद्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 136 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निगम के महानिदेशक, बीमा आयुक्त, अपर आयुक्त, क्षेत्रीय निदेशक श्रेणी 'क'/निदेशक और क्षेत्रीय निदेशक श्रेणी 'ख'/संयुक्त निदेशक को अध्याय 4 और उसके अधीन बनाए गए या विरचित नियमों, विनियमों या स्कीमों से संबंधित अपराधों के प्रयोजनों के लिए तथा उक्त संहिता और उसके अधीन बनाए गए या विरचित नियमों, विनियमों या स्कीमों के अन्य उपबंधों से संबंधित अपराधों के प्रयोजनों के लिए, अभियोजन संस्थित करने या अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. आर-19025/14/2026-एस एस-1]

आशुतोष ए. टी. पेडणेकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th May, 2026

S.O. 2360(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 136 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), the Central Government hereby authorises the Director General, Insurance Commissioner, Additional Commissioner, Regional Director Grade 'A'/Director and Regional Director Grade 'B'/Joint Director of the Corporation to institute prosecution or accord sanction of prosecution for the purposes of offences relating to Chapter IV and the rules, regulations or schemes made or framed thereunder and for the purposes of offences relating to other provisions of the said Code and the rules, regulations or schemes made or framed thereunder.

[F. No. R-19025/14/2026-SS-I]

ASHUTOSH A.T. PEDNEKAR, Jt. Secy.